

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद-फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि० द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-46) के किमी० 64.000 से किमी० 57.000 के मध्य दायी पटरी पर एवं जहानाबाद-अमौली मार्ग के किमी 000.000 से 10.000 के मध्य बायी पटरी पर कुल लंबाई 17.000 किमी० में एच०डी०डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12"(300 एम एम) ब्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.850 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में । (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइप लाइन/149748/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश

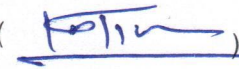
संख्या-P-158/81-2-2022-800(152)/2022 दिनांक 13 जुलाई के द्वारा

प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख, भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक- 13/07/2022

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

(आशीष तिवारी)

सरकारी मुहर

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।